जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 221 प्रभात अजमेर, मंगलवार 11 मार्च, 2025 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

ट्रम्प के मनमर्ज़ी वाले निर्णय व लगातार इकॉनमी पर हो रहे आक्रमण से तंग आया कैनडा

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहु प्रतिष्ठित बैंकर, मार्क कार्नी, जो कि बैंक ऑफ इंगलैण्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, को कैनडा का प्र.मंत्री बनाया गया

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 10 मार्च। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के हमलों से जूझते हुए देश यू.एस. के मनमाने तरीकों और आक्रमणों के विरूद्ध अपनी लड़ाई तेज कर रहे हैं।

अमेरिका के निकटतम पड़ोसी, कैनडा में नए नेता ने सत्ता संभाली है और कई मामलों में वो ट्रम्प का जोरदार मुकाबला कर सकते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो के इस्तीफे के बाद मार्क कार्नी को सत्तारूढ़ कैनेडियन लिबरल पार्टी का नेता चुना गया है, जो एक अनुभवी बैंकर व कुशल अर्थशास्त्री हैं। ट्रम्प के इकोनॉमिक वॉर का सामना करने के लिए देश को दिशा दिखाने में असफल रहे ट्रूडो को व्यापक स्तर पर नापसंद किया जा रहा था।

जहां, एक तरफ यू. एस. के हमलों से घिरे देश पलटवार की तैयारी कर रहे हैं, वहीं, अमेरिका की इकॉनमी लड़खड़ा रही है। यू. एस. का स्टॉक मार्केट गिर रहा है और निवेशक इक्विटी में इन्वैस्टमैंट को जोखिमपूर्ण मान रहे

- **मार्क कार्नी ने पद सम्भालते ही कहा, वे अमेरिका से ''टैरिफ वॉर'' लड़ने के लिए पूर्णतया कटिबद्ध है। एक तरफ तो, उन्होंने अमेरिका से कैनडा जा रहे सामान पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा, की, दूसरी ओर कैनडा द्वारा अमेरिका सप्लाई की जाने वाली बिजली को टाइट करने का मन बनाया। कैनडा, अमेरिका की ऊर्जा की काफी डिमांड की पूर्ति करता है।**
- **यहां यह भी उल्लेखनीय है, कि इसी समय अमेरिका में ''रिसैशन'' (मंदी का दौर) भी आया है। तथा, इनवैस्टर अब शेयर मार्केट में पैसा लगाना जोखिम का काम समझ रहे हैं और अधिकतर ''बॉण्ड'' खरीद रहे हैं।**
- **उदाहरण के लिए, एलन मस्क की कम्पनी टैस्ला, जो कभी शेयर मार्केट की लीडर मानी जाती थी, अपने शेयर्स के दाम गिरते हुए देख रही है। अमेरिका की इकॉनमी में मंदी का दौर आने की बात स्वयं ट्रम्प ने भी टी.वी. पर स्वीकार की।**

हैं। निवेशक बॉण्ड्स में रूचि दिखा रहे हैं, और इसलिए स्टॉक मार्केट गिर रहा है।

विशेष रूप से कुछ प्रमुख कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी टैस्ला अब निवेशकों की चहेती नहीं है, लोग टैस्ला से पैसा निकाल रहे हैं। परिणामस्वरूप, एक समय पर बाज़ार की प्रमुख कंपनी, टैस्ला के शेयर गिर रहे हैं। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन में भारी कमी आई है।

चर्चा है कि कई मायनों में अमेरिका रिसैशन (मंदी) के खतरे में है। यहां तक कि डॉनल्ड ट्रम्प को भी इस संभावना को स्वीकार करना पड़ा और बड़े ही असहज रूप से उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपने चहेते न्यूज़ चैनल, फॉक्स न्यूज़ को बताया कि वे यू. एस. इकॉनमी की पुनः संरचना करने का एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में कुछ अस्थाई अड़चनें संभव हैं।

अमेरिका अभी तक भी, नई नौकरियों के सृजन में बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन, ट्रैंड नीचे की तरफ जा रहा है और कुछ लोगों का मानना है कि नई नियुक्तियां रूक सकती हैं। कुछ निवेशकों का मानना है कि फैडरल गवरमैंट (संघीय सरकार) व यू. एस. फैडरल रिर्ज़व के बीच वास्तविक संघर्ष हो सकता है। यू. एस. फैडरल रिर्ज़व ने अपने वर्तमान चेयरमैन, जैरोम पॉवेल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने परकोटे के 19 भवनों का यथास्थिति का आदेश समाप्त किया

जयपुर, 10 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने परकोटे के आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में अवैध तौर पर चिन्हित 19 भवनों पर गत 7 मार्च को दिए यथास्थिति आदेश को समाप्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि 25 फरवरी को इन भवनों को सील करने का आदेश समानान्तर खंडपीठ ने दिया था। ऐसे में वह उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। प्रभावित भवन मालिक चाहें तो उस खंडपीठ के समक्ष अपनी बात रखें या उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील

- **अदालत ने कहा कि समानान्तर खंडपीठ 25 फरवरी को इन भवनों को सील करने का आदेश दे चुकी है। ऐसे में वे उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।**

करें, लेकिन मामले में दिया यथा-स्थिति का आदेश जारी नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने ये आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही, अदालत ने इन प्रभावितों को मामले में पक्षकार के तौर पर शामिल कर लिया है।

सुनवाई के दौरान, प्रभावित भवन मालिकों की ओर से कहा गया कि जिस रिपोर्ट के आधार पर गत 25 फरवरी का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अहमदाबाद-मुम्बई बुलेट ट्रेन की लागत में फिर वृद्धि : ''प्रोजैक्ट कॉस्ट'' दो लाख करोड़ रुपए हुई

प्रोजैक्ट अब 2024 के बजाय 2031 में पूरा होने की बात चल रही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मार्च। समझा जाता है कि ''मुम्बई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल'' (एमएएचएसआर) की संशोधित लागत दो लाख करोड़ तक पहुँच गई है तथा प्रोजैक्ट के पूरा होने की समय सीमा भी 2031 तक बढ़ा दी गई है।

भारत के प्रथम हाई स्पीड रेल प्रोजैक्ट की अनुमानित लागत मूलरूप से 96,000करोड़ रूपये थी तथा इसे 2024 तक पूरा हो जाना था। पहले संशोधन के बाद, यह लागत 1,08,000 रूपये हो गई थी। इसका कारण यह निर्णय था कि यह लाइन पुलों पर बनाई जायेगी, क्योंकि कॉरिडोर के कई हिस्सों में काली मिट्टी थी तथा जमीन का अंदरूनी भाग पूरी तरह ठोस नहीं था। इस हिस्से में भरूच तथा बड़ौदा का नज़दीकी हिस्सा भी शामिल था।

समझा जाता है कि नैशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) द्वारा रेलवे बोर्ड के समक्ष हाल ही दिये गये एक प्रैज़ेन्टेशन में, प्रोजैक्ट की एग्ज़ीक्यूटिव एजेंसी ने यह सूचित कर दिया है कि कई कारणों से प्रोजैक्ट की लागत और बढ़ गई है, इन कारणों में, कोविड-19 महामारी की अवधि में कार्य की धीमी

- **प्रोजैक्ट पर प्रारम्भ में 96 हजार करोड़ रुपये आने का आंकलन था, तथा प्रोजैक्ट 2024 तक पूरा हो जाने का प्रोजेक्शन किया गया था।**
- **जैसा का विदित ही है, प्रोजैक्ट का 80 प्रतिशत खर्च, जापान इन्टरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी (जीका) बड़े रियायती दर पर ऋण दे कर वहन कर रही है, तथा बाकी 20 प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार, गुजरात सरकार व महाराष्ट्र सरकार को वहन करना है।**
- **प्रोजैक्ट की लागत बढ़ने के कई कारण हैं, कुछ जायज़ कुछ नाजायज़, कुछ राजनीतिक और कुछ गैर राजनीतिक।**

प्रगति भी शामिल है। बताया जाता है कि रूपया-येन मुद्राओं की कीमत में आये बदलाव के कारण भी लागत में वृद्धि हुई है।

प्रोजैक्ट की लागत के 80 प्रतिशत हिस्से की फंडिंग ''जापान इन्टरनैशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा 50 साल के ऋण से की जा रही है। यह ऋण 0.1 प्रतिशत ब्याज पर है तथा ऋण की वापसी पर 20 वर्ष विलम्बन (मॉरेटोरियम) है। शेष 20 प्रतिशत लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार वहन करेगी तथा दस-दस प्रतिशत का समान हिस्सा महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकार देंगी।

बताया जाता है कि अन्तर्मन्त्रालयी ग्रुप, जिसमें जापान तथा भारत के अधिकारी शामिल हैं, की हाल ही में हुई एक मीटिंग में, जापानी पक्ष ने यह जानकारी दी है कि उनके लिये 2030 से पहले ''शिंकनसेन'' रोलिंग स्टॉक देना संभव नहीं हो पायेगा, क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिये अभी तक ऑर्डर भी नहीं दिया है। भारत को 400 शिंकनसेन कोच की जरूरत है, जो 8 तथा 16 कोचों वाली ट्रेनों के रूप में चलेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'1247 शराब की दुकानों की नीलामी पर रोक नहीं'

हाईकोर्ट ने नीलामी और एक्साइज़ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 10 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 1241 शराब की दुकानों की मंगलवार को होने जा रही नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वे नीलामी में शामिल हो सकते हैं। वहीं, अदालत ने कहा कि मात्र याचिका लंबित रहने को नीलामी में याचिकाकर्ता की अयोग्यता नहीं माना जाए। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं की दुकानों की नीलामी को अदालत में याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। चीफ जस्टिस (सी.जे.) एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने ये आदेश सीता देवी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत में इस मामले में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास और उनके सहायक अधिवक्ता कपिल

- **अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी राहत देते हुए कहा कि वे भी नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं और उनकी याचिका लंबित होना, उन्हें नीलामी में भाग लेने से वंचित नहीं रख सकता। अदालत ने कहा कि सरकार उन्हें अयोग्य घोषित नहीं कर सकती।**

व्यास पैरवी के लिए पेश हुए थे। उन्होंने अदालत से कहा कि राज्य सरकार पहली बार एक वर्ष या ज्यादा से ज्यादा, दो वर्ष के लिए बिक्री पर नियंत्रण के लिए ''एक्ससाइज़ पॉलिसी 2025'' ला रही है, जो 2029 तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार ने इसलिए लिया कि ताकि सभी पार्टियों के साथ मिलकर एक ऐसी स्थिर नीति लागू की जाए, जिससे विभाग को ही नहीं, बल्कि इस व्यवसाय से जुड़े व्यवसाइयों को भी लाभ हो। उन्होंने अदालत को बताया कि शराब की बिक्री पर एक्साइज़ राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है, जिससे 2025-26 में 17 हजार करोड़ का राजस्व कमाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि नीति को व्यवसाइयों ने खुले दिल से अपनाया है और 7665 दुकानों में से 6418 दुकानें पहले ही नीलामी में बेची जा चुकी हैं और वर्तमान में केवल 1247 दुकानों की नीलामी ही शेष है। उन्होंने बताया कि 1247 दुकानों की नीलामी से राज्य सरकार को 2 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का अनुमान है। उन्होंने अदालत को बताया कि वर्तमान नीति में 'क्लस्टर सिस्टम' को अपनाया गया है, ताकि व्यवसायिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जेईएन भर्ती पेपर लीक में आरोपी जगदीश विश्नोई को जमानत मिली

जयपुर, 10 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड उसकी जमानत याचिका को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। इसके साथ ही अदालत ने जेईएन भर्ती, 2020 पेपर लीक मामले में आरोपी जगदीश विश्नोई

- **हाई कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउण्ड उसकी जमानत याचिका खारिज करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता।**

को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश जगदीश विश्नोई की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता को कई आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है, लेकिन इस मामले में उसके खिलाफ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गाँधी व खड़गे ने फर्जी वोटर लिस्ट का मामला पुरजोर ढंग से उठाया संसद में

दोनों ने मांग की कि, एक पूरा दिन संसद का बाकी काम रोककर, दिनभर इस मुद्दे पर गम्भीर चर्चा होनी चाहिए सदन में

-डॉ. सतीश मिश्रा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मार्च। संसद के दोनों सदनों के नेता-राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज माँग की कि मतदाता सूची में कथित विसंगतियों पर संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाये।

राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुये, खड़गे ने माँग की कि सदन का सभी सूचीबद्ध कार्य आज निलम्बित कर दिया जाये तथा मतदाता सूची में वोटर आईडी के प्रकाशन पर चर्चा की जाये।

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुये, राहुल गांधी ने कहा, ''पूरे देश में मतदाता सूची पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के मतदाताओं की काली और सफेद सूची के बारे में सवाल खड़े किये जा रहे हैं। संपूर्ण विपक्ष एक स्वर में कह रहा है कि मतदाता सूची पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिये।''

बाद में, खड़गे ने कहा कि पूरा

- **इस बात पर संशय जताया गया, कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव के बीच अचानक लाखों वोटर कैसे बढ़ गये। तथा, अभी तक चुनाव आयोग ने, जिस वोटर लिस्ट से चुनाव कराये गये हैं, उसकी प्रतिलिपि क्यों उपलब्ध नहीं कराई है।**

विपक्ष उन संदेहों पर विस्तृत चर्चा चाहता है, जो मतदाता सूची की विभिन्न विसंगतियों के बारे में पैदा हुये हैं। संसद को चाहिये कि वह लोकतंत्र और संविधान में लोगों की आस्था की रक्षा करे।

इलैक्शन फोटो आइडेन्टिटी कार्ड (ईपीआईसी) में डुप्लीकेशन पर इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) द्वारा जारी किये गये बयान का हवाला देते हुये, उन्होंने कहा, ''2 मार्च 2025 की अपनी प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार, ईसीआई ने देश के इलैक्ट्रोरल रिकॉर्ड्स में विसंगतियों को स्वयं स्वीकार किया है। सभी राज्यों में ईपीआईसी में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेशन है। यह चीज मतदाता की सत्यनिष्ठा तथा चुनाव प्रक्रिया को कमज़ोर करती है।''

खड़गे ने कहा, ''कांग्रेस इस मुद्दे को पहले भी उठा चुकी है कि लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के बीच की मात्र छः माह की अवधि में, महाराष्ट्र में लाखों मतदाता एकाएक बढ़ गये। ईसीआई ने अभी तक हमारी उस माँग का जवाब नहीं दिया कि हमें एक्सल फॉर्मेट में उस मतदाता सूची की समग्र फोटो प्रति उपलब्ध कराई जाये, जो मतदान के समय काम में आई थी।''

कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देते हुये कहा कि ''मतदाताओं के नाम एकाएक तथा अकारण हटाया जाना, डुप्लीकेट ईपीआईसी नम्बरों की मौजूदगी तथा ऐसे ही अन्य संगीन मुद्दे हमारी चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को प्रभावित कर रहे हैं तथा इन पर तुरन्त ध्यान देने तथा संसद में चर्चा कराये जाने की जरूरत है।''

उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर हुई ये अनियमिततायें चुनावों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आयोजन के लिये खतरा हैं तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिये यह अत्यावश्यक है कि संसद में इस मामले पर विस्तृत चर्चा कराये।

राहुल गांधी ने कहा, ''महाराष्ट्र की मतदाता सूची में अनियमितताओं के संबंध में मेरी प्रैस कॉन्फ्रैंस को हुये एक महीने से ज्यादा समय हो गया। लेकिन जो माँग हमने ईसीआई से की थीं, वे अभी पूरी नहीं हुई हैं। आज भी वे प्रश्न उसी रूप में बने हुये हैं। अब मतदाता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

टैंकर-जीप टक्कर में 9 मरे और 12 घायल

सीधी, 10 मार्च। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में टैंकर और जीप की टक्कर में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 12 घायलों में से 7 की हालत गंभीर है।

हादसा कोतवाली थाना इलाके में हुआ। मृतकों में पांच महिलाएं और तीन

- **मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए हादसे में 8 की मौत तो मौके पर ही हो गई, एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया तथा 12 घायलों में से 7 की हालत गंभीर है।**

पुरुष शामिल हैं। घायलों में 6 बच्चे भी हैं। गंभीर घायलों को रीवा मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है, बाकी को सीधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएसपी गायत्री तिवारी ने बताया- राजमणि साहू अपनी बेटी का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस की अटपटी स्थिति हो रही है, स्टालिन के ''हिन्दी विरोधी'' उद्गारों से

एक राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण, स्टालिन के हिन्दी विरोधी आंदोलन का समर्थन करती नहीं दिख सकती

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मार्च। अब यह स्पष्ट है कि केन्द्र व तमिलनाडु के बीच त्रिभाषा फॉर्मूला के मुद्दे पर जंग बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे, प्रस्तावित परिसीमन पर विपक्ष शासित राज्यों को एकजुट करना शुरु कर दिया है, जिससे कांग्रेस की स्थिति अटपटी हो गई है।

कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी है, इसलिए भाषा के मुद्दे पर वह कठोर रुख नहीं अपना सकती है, जैसा कि तमिलनाडु में इसकी सहयोगी पार्टी द्रमुक ने अपना रखा है, जिसने हिंदी थोपे जाने के डर से त्रिभाषा फॉर्मूला को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

असल में यह कांग्रेस ही थी, जिसने सबसे पहले 60 के दशक में हिंदी लागू करने का प्रयास किया था और इसकी भारी कीमत चुकाई थी,

- **जैसा कि विदित ही है, 1960 के दशक में कांग्रेस ने तमिलनाडु में हिन्दी ''लादने'' की चेष्टा की, जिसका उसे भारी खामियाज़ा उठाना पड़ा था व हिन्दी विरोधी आंदोलन के कारण, कांग्रेस को तमिलनाडु में सत्ता खोनी पड़ी थी। उसके बाद, आज तक कांग्रेस दोबारा तमिलनाडु सत्ता में नहीं आ पाई है।**
- **अतः कांग्रेस के लिये, अब हिन्दी विरोधी आंदोलन का समर्थन करना संभव नहीं हो रहा। तेलंगाना के कांग्रेस के मु.मंत्री व रेड्डी यह कह कर बच रहे हैं कि वे किसी भाषा को जबरन लादने के खिलाफ हैं। तमिलनाडु के स्थानीय नेता जैसे कार्ती चिदम्बरम आदि, हालांकि, अपने स्तर पर स्टालिन के हिन्दी ''लादने'' के विरूद्ध चलाये जा रहे आंदोलन का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं।**
- **साउथ इंडिया में ''डीलिमिटेशन'' के विरूद्ध चल रहे आंदोलन के बारे में भी कांग्रेस की अटपटी स्थिति है। अगर ''डीलिमिटेशन'' का विरोध करती है पार्टी, तो उत्तर भारत में मैसेज ठीक नहीं जाता और अगर समर्थन करती है तो साउथ इंडिया में कांग्रेस मुख्यधारा से कट जाती है।**

तब राज्य में हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था, जिसमें कई तमिलों की जान गई थी, पर, इसने राज्य से कांग्रेस को भी उखाड़ फेंका था। उसके बाद यह कभी भी सत्ता में नहीं आ सकी।

आज इसे कुछ लोकसभा सीटों के लिए कभी द्रमुक तो कभी अन्नाद्रमुक का दामन थामना पड़ता है। राज्य में कांग्रेस, द्रमुक तथा अन्नाद्रमुक दोनों के साथ गठबंधन कर चुकी है। अभी कांग्रेस का गठबंधन द्रमुक के साथ है, जो यूपीए में भी सहयोगी पार्टी रही है। दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, पर कांग्रेस तमिलनाडु सरकार में शामिल नहीं है।

तमिलनाडु के कांग्रेस नेता जैसे कार्ति चिदम्बरम आदि तमिलनाडु सरकार के द्विभाषा फॉर्मूला का पूर्व समर्थन करते है और वे परिसीमन पर भी द्रमुक के साथ हैं। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी किस और झुकेगी।

कांग्रेस उत्तर भारत में बुरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है। द्रमुक को समर्थन देने की मजबूरी इसकी स्थिति को और कमज़ोर कर सकती है। देशभर में तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। इनमें से दो राज्य दक्षिण भारतीय हैं। दोनों ही अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अलग होने पर विचार कर रहे हैं और उनका रुख भाषा मुद्दे पर तमिलों का समर्थन है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रैवंत रेड्डी ने भाषा के मसले पर बोलना शुरु कर दिया है। एक न्यूज़ चैनल पर उन्होंने कहा कि ''हम किसी भी भाषा, जिसमें हिंदी भी है, को जबर्दस्ती थोपने का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोचिंग सैन्टर विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद

जयपुर, 10 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने आश्वस्त किया है कि कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा में इसी सत्र में बिल पेश किया जाएगा। महाधिवक्ता के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए, अदालत ने मामले में सुनवाई दो सप्ताह के लिए

- **महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट को जानकारी दी कि कोचिंग सैन्टर नियामक बिल विधानसभा के इसी सत्र में आएगा।**

टाल दी है। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)